<u>न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ0 अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर मध्यप्रदेश/पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक 59 नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.11.2022</u>

आर0सी0टी0—1335/2022
स्टेट विरूद्ध विरूद्ध अंजूम पटेल
आदेश दिनांक— 12.11.2022

12.11.2022 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।
अभियुक्त सहित श्री प्रताप सिंह ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी/आहत अय्यूब खांन एवं आरोपी द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—320{1} तथा 320{2} दंड प्रक्रिया संहिता के तहत् पेश कर अभियुक्त से राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

राजीनामा आवेदन के परिपेक्ष्य में फरियादी/आहत से राजीनामा के संबंध में पूछा गया तो उसने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी डर व दबाव के स्वेच्छया पूर्वक किया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के तहत् आरोप—पत्र विरचित हैं जो कि आहत द्वारा राजीनामा योग्य हैं। चूंकि उभयपक्ष के मध्य आपसी संबंध मधुर होकर सभी विवाद समाप्त हो चुके है। उभयपक्ष से पूंछताछ करने पर न्यायालय संतुष्ट है कि राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक किया गया है।

आहत की पहचान श्री प्रताप सिंह ठाकुर अधिवक्ता द्वारा की गई है। अतः उनमें मधुरता बनाये रखने के लिये प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पक्षकारों के हित में वाद तस्दीक स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के आरोप से <u>दोषमुक्त</u> किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाए।

आर0 एस0 दोहरे
पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क0 59
नेशनल लोक अदालत
डॉ0 अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर मध्यप्रदेश

सदस्य— श्री युसुफ खांन अधिवक्ता।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)